उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

संख्या-14/2015/39/43-1-2015-25(13)/2012

लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा संख्या- वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न पदों को इस शासनादेश से संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत पुर्नगठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) इस शासनादेश से संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम /पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या तथा भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता के स्थान पर दिनांक 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

(2) उक्तानुसार तालिका के स्तम्भ-4 एवं 5 में दिनांक 18 मार्च, 2011 से निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ-6 एवं 7 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तमुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-59(एम)2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3- राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अनुसार अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु उ0प्र0 सरकारी कार्यालय निरीक्षणालय लिपिक वर्ग अधिष्ठान सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र की जाये।

- - - - 2/-

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-491/दस-2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2015/39(1)/43-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 सचिवालय।
3- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 सचिवालय।
8- अनुभाग अधिकारी (लेखा) प्रशासनिक सुधार अनुभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/2015/39/43-1-2015-25(13)/2012 दिनांक 07 मई, 2015 का संलग्नक।

क्रम संख्या	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन (दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था		पुनर्गठन (दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था	
	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में) /पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में) /पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1-	नैत्यक श्रेणी लिपिक (वेतन बैण्ड-1 वेतन रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900/-) /20	सीधी भर्ती द्वारा	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रू0 2000/-) /20	1- 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती। अर्हता-इन्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOACE) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाणपत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति। 2- 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा, जो हाई स्कूल हो तथा टंकण का ज्ञान रखते हो। 3- 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण का ज्ञान रखते हों।	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार
2-(क)	ज्येष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक (वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रू0 2400/-)/ 02	स्थायी नैत्यक श्रेणी लिपिकों में से ज्येष्ठता के	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) / 07 पद	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख)	निरीक्षण समीक्षक (वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रू0 2400/-) /05	आधार पर पदोन्नति द्वारा				
3-	ज्येष्ठ निरीक्षण समीक्षक (वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रू0 2800/-) /02	स्थायी निरीक्षण समीक्षक और लेखा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन रू0 2800/-) /02 (संविलीनीकरण के फलस्वरूप)	- तदैव -	प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200/-) /02	पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति द्वारा
4-	कार्यालय अधीक्षक (वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200/-) /01	- तदैव -	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200/-) /01	05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4600/-) /01	05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
	पदों का कुल योग-30	पदों का कुल योग-30			पदों का कुल योग-30	

(लुटावन राम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**